इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023—पौष 1, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्रमांक----जीएडी/37/0009/2023/1/9 ---------- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी चतुर्थ-श्रेणी स्थापना भर्ती नियम, 2000 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, आर सी वी पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की स्थापना में चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आर सी वी पी नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी चतुर्थ-श्रेणी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2023 है ।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक प्रशासन अकादमी;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कालम (6) मे उल्लिखित विभागीय पदोन्नति समिति, जो सेवा के सदस्यों की पदोन्नति से संबंधित मामलों पर विचार करेगी;

(घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" से अभिप्रेत है, कोई नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./ एफ, दिनांक 2 जुलाई, 2019 के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधीन नहीं आता हो;

(ड.) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 12 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह से अनिम्न की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की शिफारिशों पर या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई थी अथवा अतिशेष (सरव्वस) घोषित किया गया था, -

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होने देश की सशत्र सेनाओं में या भूतपूर्व देशी रियासतों की सेनाओं में छः माह से अधिक सेवा की हो और जिन्हें कदाचरण के आधार पर सेवामुक्त न किया गया हो;

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर भर्ती किया गया हो और-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण होने पर:

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण होन पर सेवामुक्त किया गया हो,

(4) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लगने तथा घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से पृथक किया गया हो अथवा दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं होने के कारण सेवामुक्त किया गया हो;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडें वर्ग;

(ञ) "छटनी किए गए सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की शासकीय सेवा में या इसकी संघटक इकाईयों में से किसी में छह माह से अनिम्न की निरंतर कालावधि तक सेवा में रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन कराने की तारीख से अधिकतम् तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्युक्त किया गया हो;

(ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध मं अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है, "आर सी वी पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी चतुर्थ-श्रेणी सेवा";

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार एवं लागू होना.-**

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन .-**

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पद मूलतः या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि .-**

सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए निर्धारित वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी तथा वित्त विभाग के प्रावधनों के अधीन समयमान वेतनमान की पात्रता होगी:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका .-**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट अर्हता एवं अन्य शर्तों के अनुसार पदों पर सीधी भर्ती द्वारा। चयन हेतु मानदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा;

(ख) अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) संविदा नियुक्ति द्वारा;

(घ) आऊटसोर्स द्वारा।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में उल्लिखित किए गए पदों की संख्या के साथ, अनुसूची-दो में उल्लिखित प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाना वाला भर्ती का तरीका तथा प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

7. **सेवा में नियुक्ति.-**

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी नियुक्ति नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.-** चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

(1) आयु .-

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा दर्शित आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथादर्शित आयु प्राप्त न की हो;

(ख) विक्रम पुरस्कार धारकों के संबंध में उच्चतर आयुसीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की "अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम" के अधीन पुरूष्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति-पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयुसीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ड़) शासकीय /निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था तथा नगर सैनिक के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी और समस्त महिला अभ्यर्थी जिसमें विधवा / परित्यकता / तलाकशुदा भी सम्मिलित हैं, के संबंध में अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष होगी:

परन्तु सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(च) नि:शक्त अभ्यार्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विहित किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी;

(छ) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा में से अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि उसके द्वारा एक से अधिक वार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह निर्धारित सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो;

(झ) स्वयं-सेवी नगर-सैनिक तथा नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गयी नगर सेना सेवा की कालावधि के पूर्ण वर्षों के बराबर उच्चतर आयु सीमा में शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) शैक्षणिक अर्हता .-

अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में यथा उल्लिखित सेवा/ पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होना चाहिए:

परन्तु यह कि वे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली है जो विश्वविद्यालय सरकार द्वारा विशेष रूप से मान्यताप्राप्त नही है उन्हें भी नियुक्त प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर चयन के लिए विचार किया जाएगा।

(3) शुल्क .-

नियुक्ति प्राधिकारी/ मण्डल द्वारा विहित शुल्क का संदाय अभ्यर्थी को करना होगा।

9. संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर .-

विभाग के सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों का 50% या संविदा पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या का 50% तक (जो भी कम हो) संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति हेतु आरक्षित रखा जाएगा:

परंतु आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए, संविदा कर्मचारी की अधिकतम् आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. निरर्हता .-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा। अपात्र होगा।

11. पात्रता के संबंध में विनिश्चय .-

परीक्षा / चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/ साक्षात्कार में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

12. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.-

(1) अनुसूची-एक एवं दो में यथादर्शित सेवाओं हेतु भर्ती के लिए, चयन ऐसे अन्तरालों पर आयोजित किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) सीधी भर्ती के लिए, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार 16 प्रतिशत पद अनुसूचित

जाति के लिए, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा संविधान (एक सौ तीन वों संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाऐंगे। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 33%पद महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे ।

(3) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति से आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

(4) दिव्यांगजनों के लिए शासन द्वारा यथाघोषित स्तरवार और प्रभागवार आरक्षण होगा ।

13. **परिवीक्षा.-**

सेवा में सीधी भर्ती से लिया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि के दौरान पद के न्यूनतम वेतानमान का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में देय होगा। वेतनमान का वेतन परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ होगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-**

(1) पात्र अभ्यार्थियों को पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए अनुसूची-चार के कॉलम (6) में यथा उल्लिखित अनुसार संचालक द्वारा नामांकित सदस्यों की समिति गठित की जाएगी, (जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी राजपत्रित स्तर के अधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे)

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए किन्तु समिति सामान्यत: सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-2/2013/3/एक, भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के अनुसार एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.-**

समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची चार में यथा विनिर्दिष्ट उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है स्थानापन्न या मूल रूप में उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र में आते हों:

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उसके द्वारा सेवा की विहित कालावधि पूरी कर लिए जाने के आधार पर उसे चयन बोर्ड पदोन्नति के लिए अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में अधिमान देकर विचारण नहीं किया जाएगा।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की प्रवर्गवार एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों। चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण प्रत्यासित रिक्तियों को भरने के लिए अनवेक्षित रिक्त्यों की पूर्ति करने के लिए सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या का 25% अन्तर्विष्ट करते हुए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी ।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए चयन वरिष्ठता पर सम्यक रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूचि में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नाम ऐसी चयन सूची तैयार करते समय अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में क्रम या वरिष्ठता में व्यवस्थित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित करना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण हेतु उसके कारणों को अभिलिखित करना होगा ।

17. चयन सूची .-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित अनुसूची-चार में यथा उल्लिखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्त: तव तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 16 के उप-नियम (4) के अनुसार पूनर्विलोकित या पुनरीक्षित नही की जाए।

(3) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की, सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्ति, उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम से चयन सूची में आए हों।

स्पष्टीकरण: कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है लेकिन उसे सूची की वैधता के दौरान पदोन्नत नही किया जाता है, पश्चात्वर्ती चयन में विचारण किए गए व्यक्तियों पर केवल उसके पूर्ण चयन के तथ्य के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं होगा।

18. **निर्वचन.-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

19. **शिथलीकरण.-** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत एंव उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

20. **निरसन तथा व्यावृत्ति.-**
इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम एतद्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुपरवाईजर	1	चतुर्थ-श्रेणी	19500-62000	-
2.	प्लंबर	1	--तदैव--	19500-62000	-
3.	दफ्तरी	1	--तदैव--	16100-50900	-
4.	जमादार	1	--तदैव--	16100-50900	-
5.	भृत्य	18	--तदैव--	15500-49000	-
6.	चौकीदार	2	--तदैव--	15500-49000	-
7.	नर्सरीमेन	1	--तदैव--	15500-49000	-
8.	हेल्पर	2	--तदैव--	15500-49000	-

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क्र.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क))	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख))	संविदा द्वारा (नियम 6(1)(ग))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सुपरवाईजर	1	-	100%	-	-
2.	प्लंबर	1	100%	-	-	सीधी भर्ती/ संविदा/ नियुक्ति/ आउटसोर्स
3.	दफ्तरी	1	-	100%	-	-
4.	जमादार	1	-	100%	-	-
5.	भृत्य	18	100%	-	-	भृत्य के 18 पदों में से 8 पदों की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी।
6.	चौकीदार	2	100%	-	-	-
7.	नर्सरीमेन	1	100%	-	-	-
8.	हेल्पर	2	-	-	100%	संविदा नियुक्ति द्वारा

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा तथा पात्रता

अनु. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	आपेक्षित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए	संचालक द्वारा अनुशंसित संस्था से सीधी भर्ती
2.	प्लंबर	18 वर्ष	40 वर्ष	1. दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ आई.टी.आई./ मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर ट्रेड का डिप्लोमा । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्लम्बस से संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले अभ्याथियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	---तदैव---
3.	चौकीदार	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए	---तदैव---
4.	नर्सरीमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था में उद्यान से संबंधित कार्य का एक वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	---तदैव---
5.	हेल्पर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए	---तदैव---

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)
सेवा में सम्मिलित पदों पर पदोन्नति

अनु. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता अवधि/अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दफ्तरी/जमादार	सुपरवाईजर	5 वर्ष	संचालक द्वारा नामांकित समिति	-
2	भृत्य	दफ्तरी/जमादार	5 वर्ष	--तदैव--	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला मार्टिन, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2023

No. GAD/37/0009/2023/1/9------ In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Madhya Pradesh Academy of Administration Class IV Establishment Recruitment Rules, 2000, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules to regulate the recruitment and conditions of service of Class-IV employees on the establishment of the RCVP Noronha Academy of Administration and Management, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Madhya Pradesh RCVP Noronha Academy of Administration and Management Class-IV (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2023.
   (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" means the Director, Academy of Administration;
   (b) "Board" means the Madhya Pradesh Employees Selection Board;

(c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee mentioned in column (6) of Schedule-IV, which shall consider the matters relating to the promotion of the members of the service;

(d) "Economically Weaker Section (E.W.S.)" means a citizen who does not come under any reserve category such as Scheduled Castes or Scheduled Tribes as per the circular of the General Administration Department No. F-07-11/2019/आ.प्र./one, dated 2nd July, 2019;

(e) "Examination" means a competitive examination organized for recruitment under rule 12;

(f) "Ex-Serviceman" means a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service-

(1) ex-serviceman released under mustering out concession;

(2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;

(3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(4) ex-personnel of Madras Civil Units;

(5) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc., or they are unlikely to become efficient soldiers;

(g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(j) "Retrenched Government Servant" means a person who was in temporary Government Service of this State or of any of constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(m) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(n) "Service" means the RCVP Noronha Academy of Administration and Management Class-IV Service;

(o) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.-

The service shall consist of the following persons, namely:—

(1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in the Schedule-I;

(2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay, etc.-

The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I and shall be eligible for a time pay scale under the provisions of the Finance Department:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.-

(1) Recruitment in the service, after the commencement of these rules shall be by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment on the posts as per the qualifications specified in column (6) along with other conditions of Schedule-III. The criteria for selection shall be as decided by the appointing authority;

(b) by promotion of members appointed in the service as specified in Schedule-IV;

(c) by contractual appointment;

(d) by outsourcing.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall at no time exceed the percentage mentioned in Schedule-II along with the number of posts mentioned in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling up

of any specific vacancies shall be determined on each occasion in consultation with the Appointing Authority.

7. Appointment to the service.-

All appointment in the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-

In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.-

(a) A candidate must have attained the age as shown in column (3) of Schedule-III and not attained the age as shown in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of examination/selection;

(b) in regard of Vikram Award holders, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years;

(c) in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years for women candidates;

(d) general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a partner belonging to

unreserved category who has been awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of Tribal, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare Department;

(e) in respect of male and female candidates working under the Government/ Corporation/ Board/ Autonomous Bodies and Home Guards and male and female candidates belonging to reserved category and all female candidates including widow/ abandoned / divorced, the maximum age limit shall be 45 years;

(f) the upper age limit regarding disabled candidates shall be relaxable as the State Government may prescribe from time to time;

(g) a candidate who is a Retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

(h) in respect of self-serving Municipal Soldiers (Swyam Sevi Nagar Sainik) and Non-Commissioned Officers, the upper age limit equivalent to entire years of the term of Nagar Sena Seva, so completed by them shall be relaxed, but in no case they should be more than 45 years of age.

(2) Educational Qualification.-

The candidate must posses the educational and other qualifications for the service/ post as mentioned in the Schedule-III appended hereto:

Provided that the candidates who are otherwise qualified but have taken Degree from foreign Universities which being universities are not specifically recognized by the Government shall also be considered for selection at the sole discretion of the Appointing Authority.

(3) Fees-

The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/ Board.

9. Opportunities for appointment of contractual employees on the regular posts.-

50% of the total vacant posts of the direct recruitment in the department or up to 50% of the total number of contractual employees who have completed 5 years of continuous service on contract posts (whichever is less), shall be kept reserved for the appointment of contractual employees:

Provided that including all age relaxations, the maximum age of the contractual employee shall not exceed 55 years.

10. Disqualification.-

(1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means shall be

treated as a disqualification for the examination/selection by the Appointing Authority.

(2) Any candidate who married before the minimum age limit prescribed for marriage, shall be disqualified for appointment on any service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(3) Any candidate who has been convicted of an offence against women shall be disqualified for service:

Provided that in case of appointment of such candidates whose case is pending in a court, the appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

(4) Any candidate who have more than one living wives and any female candidate who has married such a person, who already has a living wife, shall be disqualified for service:

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

11. Decision regarding eligibility.-

The decision of the Appointing Authority with regard to the eligibility or otherwise of any candidate for admission to the examination/selection shall be final and such candidate

who has not been issued the certificate of admission shall not be permitted to appear for the examination/interview.

12. Direct recruitment by competitive examination.-

(1) Selection for recruitment to the service as shown in Schedule-I and Schedule-II shall be held at such intervals as the appointing authority may determine from time to time.

(2) For direct recruitment, the posts shall be reserved 16% posts for the Scheduled Castes, 20% posts for the Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998 and 10 percent posts shall be reserved for Economically Weaker Sections (E.W.S.) as per the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019. 33% posts shall be reserved for female candidates, as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules 1997.

(3) If the candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes are not available in sufficient numbers to fill up all the vacancies reserved for them, they shall not be reserved in any manner for filling up by persons other than those belonging to the category for which the post or posts have been reserved.

(4) There shall be level-wise and division-wise reservation for disabled persons, as declared by the Government.

13. Probation.-

Every person selected by direct recruitment in the service shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay scale of the post shall be payable as stipend. The pay in the pay scale shall be started after successful completion of the probation period.

14. Appointment by promotion.-

(1) A Committee of members nominated by the Director shall be constituted as mentioned in column (6) of Schedule-IV to select eligible candidates for promotion (consisting of a Gazetted officer representing Scheduled Castes/ Scheduled Tribes as member).

(2) The Committee shall meet at such intervals as directed by the Appointing Authority but the Committee ordinarily shall meet at least twice in a year, as per the Circular of the General Administration Department No. C-3-2/2013/3/One, Bhopal, dated 24th April, 2013.

15. Conditions of eligibility for promotion.-

Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, had completed such number of years of service whether officiating or substantive

on the posts from which promotion is to be made as specified in Schedule-IV and are within zone of consideration:

Provided that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service under this rule.

16. Preparation of list of suitable candidates.-

(1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. A reserve list shall also be prepared to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list, consisting of 25% of the numbers of persons included to meet the unforeseen vacancies.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.

(3) The name of the candidates included in the list shall be arranged in order or seniority in the service or posts as specified in Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation: A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those

considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Select list.-

(1) The list finally approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of the members of the service as mentioned in Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

(3) The persons included in select list shall be appointed on the posts of cadre in service, in the order as they appear in select list.

18. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

19. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any

person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and suitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

20. Repeal and Saving.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule-I

(see rule 5)

Classification, Pay Scale and number of Posts included in Service

S. No.	Name of posts included in service	Number of Posts	Classification Pay Scale	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Supervisor	1	Class -IV	19500-62000	-
2.	Plumber	1	-do-	19500-62000	-
3.	Daftari	1	-do-	16100-50900	-
4.	Jamadar	1	-do-	16100-50900	-
5.	Peon	18	-do-	15500-49000	-
6.	Watchman	2	-do-	15500-49000	-
7.	Gardener	1	-do-	15500-49000	-
8.	Helper	2	-do-	15500-49000	-

Schedule-II

(see rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Service	Number of Posts	Percentage of number of posts to be filled			Remarks
			By Direct Recruitment [see rule 6(1)(a)]	By Promotion [see rule 6(1)(b)]	By Contract [see rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Supervisor	1	-	100%	-	-
2.	Plumber	1	100%	-	-	By direct recruitment/ contractual appointment/ outsource
3.	Daftari	1	-	100%	-	-
4.	Jamadar	1	-	100%	-	-
5.	Peon	18	100%	-	-	Out of 18 posts of peons 8 posts shall be filled through outsource
6.	Watchman	2	100%	-	-	-
7.	Gardener	1	100%	-	-	-
8.	Helper	2	-	-	100%	By contractual appointment

Schedule-III

(see rule 8)

Age-limit and Eligibility for direct recruitment

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Required educational qualifications and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peon	18 years	40 years	Must have passed 8th standard examination	Direct recruitment from the Institution as recommended by the Director
2.	Plumber	18 years	40 years	1. Must have passed 10th standard examination along with Industrial Training Institute/ Diploma in Plumber Trade from a recognized Institution. 2. Preference shall be given to the candidate having work experience in plumber related work from a recognized Institution	-do-
3.	Watchman	18 years	40 years	Must have passed 8th standard examination	-do-
4.	Gardener	18 years	40 years	Must have passed 8th standard examination and preference shall be given to the candidates having work experience of one year in garden related work from a recognized Institution	-do-
5.	Helper	18 years	40 years	Must have passed 8th standard examination.	-do-

Schedule-IV
(see rule 14)
Promotion on the Posts included in Service

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum Qualification Period/ Experience for Promotion	Name of Departmental Promotion Committee members	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Daftari/ Jamadar	Supervisor	5 Year	Committee nominated by the Director	-
2.	Peon	Daftari/ Jamadar	5 Year	-do-	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAILBALA MARTIN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.